न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 114 सन 2019

अनवान :–

1. कौशल्या पुत्री लिछमणदास पत्नी ओमप्रकाश जाति स्वामी निवासी वार्ड संख्या 22 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

सायला

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र पुर्णदास जाति स्वामी निवासी अरडकी हाल तहसील नोहर हाल आबाद चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा
2. सुलतान पुत्र पुर्णदास जाति स्वामी निवासी अरडकी हाल तहसील नोहर हाल आबाद चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा
3. बिमला पत्नी धर्मपाल जाति स्वामी निवासी अरडकी हाल तहसील नोहर हाल आबाद चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा
4. नवल किशोर पुत्र धर्मपाल जाति स्वामी निवासी अरडकी हाल तहसील नोहर हाल आबाद चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा
5. राधेश्याम पुत्र धर्मपाल जाति स्वामी निवासी अरडकी हाल तहसील नोहर हाल आबाद चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा
6. सन्दीप पुत्र धर्मपाल जाति स्वामी निवासी अरडकी हाल तहसील नोहर हाल आबाद चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा
7. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता सायल
श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 07/09/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा अरडकी के खसरा न0 183/2 की 1.8910हैक भूमि पूर्णदास पुत्र बस्तीदास जाति स्वामी साकिन अरडकी खातेदार काश्तकार था।

पुर्णदास पुत्र बस्तीदास का देहान्त हो गया जिसके जायज वारिसान गैरसायल न0 1 ता 2 दावा में प्रतिवादीया संख्या 7 एवं धर्मपाल , लिछमणदास पुत्रगण एवं सीमा पुत्री कुल 6 वारिस हुए जिसमें से धर्मपाल लिछमणदास पुत्रगण पुर्णदास एवं सीमा पुत्री पुर्णदास का देहान्त हो चुका है धर्मपाल के जायज वारिस गैरसायल न0 3 ता 6 है एवं लिछमणदास की जायज वारीस सायला है एवं सीमा पुत्री पुर्णदास पत्नी ठाकरदास के जायज वारिस दावा में प्रतिवादी संख्या 8 ,9 है।

सायला एवं गैरसायल व दावा में सुयक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है विवादित भूमि पैतृक जददी जायदाद है जो पुर्णदास पुत्र बस्तीराम को परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान होने के कारण अपने पिता के फोत होने पर प्राप्त हुई थी जिसमें गैरसायल न0 1 ,2 व दावा में प्रतिवादी संख्या 7 एवं धर्मपाल , लिछमणदास , सीमा पुत्री का जन्म से हक व अधिकार है अर्थात विवादित भूमि में 1/7–1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

सायला व गैरसायल एवं दावा में प्रतिवादीगण सुयक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है एवं सायला पुर्णदास पुत्र बस्तीदास की पौत्री है एवं गैरसायल न0 1 ता 2 दावा में प्रतिवादी संख्या 7 पुत्र एवं पुत्री है एवं गैरसायल न0 3 ता 6 पुत्रवधु व पोते है एवं दावा में पतिवादी संख्या 8 ,9 दोहिती एवं दोहिते है पुर्णदास पुत्र बस्तीदास के नाम से दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें गैरसायल न0 1 ,2 दावा में प्रतिवादी संख्या 7 एवं धर्मपाल , लिछमणदास पुत्रण एवं सीमा पुत्री का जन्म से ही हक हिस्सा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नही होने के कारण सायला के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये वादीया धोषणा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

करवाकर वाद भूमि मे अपने 1/7 हिस्सा भूमि को अपने नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने की अधिकारी है

गैरसायल न0 1 ,2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के पती पिता धर्मपाल से साजिसाना कार्यवाही कर पूर्णदास पुत्र बस्तीराम की रोही मौजा अरडकी के खसरा न0 183/2 की कुल 1.8910हैक भूमि की वसीयत नोटरी पब्लिक से दिनांक 06.11.2008 को तरदीक करवा ली है हको से ज्यादा हिस्से की वसीयत करवाने के कारण सायला के हकों के मुकाबले शुन्य है।

विवादित भूमि में सायला का 1/7 हिस्सा है जिसे हडप करने के लिये साजिसाना तौर पर वसीयत तहरीर करवाई गई है हकों से ज्यादा भूमि की वसीयत करवाने के कारण वसीयत सायला के हकों के मुकाबले शुन्य है किन्तु गैरसायलान उक्त वसीयत के आधार पर नाम करवा ली है जिसका नाजायज फायदा उठाने के लिये वाद भूमि रहन बैय कर सकते है क्योकि वाद भूमि गैरसायलान के नाम से दर्ज हो चुकी है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायला को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये सायला गैरसायलान को पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि वाद के निस्तारण तक वाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे ।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा अरडकी के खसरा न0 182/2 की 1.8910हैक भूमि को ताफैसला दावा रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल न0 2 ता 6 उपस्थित नही व गैरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायला के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया की

पूर्णदास वल्द बस्तीराम फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसान गैरसायल न0 1 ता 3 व दावा में प्रतिवादी संख्या 7 एवं धर्मपाल लिछमणदास पुणगण एवं सीमा पुत्री कुल 6 वारिस हुए जिसमें से धर्मपाल लिछमणदास पुत्र पूर्णदास एवं सीमा पुत्री पूर्णदास का देहान्त हो चुका है। धर्मपाल के जायज वारिसान गैरसायल न0 3 ता 6 के अलावा सायला धर्मपाल की पुत्री है लिछमणदास की वारिस नही है लिछमणदास लावल्द फोत हुआ है सीमा पुत्री पूर्णदास पत्नि ठाकरदान के जायज वारिस दावा में प्रतिवादी संख्या 8 ,9 है

वादग्रस्त भूमि पूर्णदास वल्द बस्तीदास की स्वय अर्जित की गई खातेदारी भूमि है जिसमें सायला का कोई हक हिस्सा नही है इसलिये सायला वाद भूमि के सम्बध में किसी प्रकार की धोषणा करवाने की अधिकारी नही है

सायला विवादित भूमि की किसी श्रेणी की टिनेन्ट नही है सायला का वाद भूमि पर कब्जा नही है वादग्रस्त भूमि पूर्णदास पुत्र बस्तीराम जाति स्वामी साकिन अरडकी खातेदार काश्तकार था जिसने अपने जीवनकाल में दिनांक 06.11.2008 को गैरसायल की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर मोतबिरान के रोबरू वसीयत कर दी तथा पूर्णदास दिनांक 08.06.2012 को फोत होने के पश्चात उसकी वसीयत दिनांक 06.11.2008 के आधार पर गैरसायल न0 1 ,2 व धर्मपाल ने वाद भूमि जरिये इन्तकाल संख्या 1177 दिनांक 18.10.2013 के द्वारा अपने नाम से दर्ज करवा ली है तथा गैरसायल वसीयत वारिस होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है सायला का कोई हक हिस्सा वादग्रस्त भूमि में नही है ना ही सायला वादग्रस्त भूमि के सम्बध में प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार रखती है।

सायला लिछमणदास की पुत्री नही है तथा सायला कौशल्या उर्फ कान्ता धर्मपाल की पुत्री है इसलिये सायला को सक्षम सिविल कोर्ट से उतराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवाये बिना दावा व प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है।

गैरसायल उत्तरदाता पूर्णदास पुत्र बस्तीदास की वसीयत दिनांक 06.11.2008 के आधार पर खातेदार काश्तकार है अर्थात वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है तथा सायला वसीयत को सक्षम न्यायालय में निरस्त करवाये बिना किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है।

सायला ने प्रार्थना पत्र केवल उत्तरदाता को परेशान करने के लिये पेश किया गया है सायला का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल का जबाब पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सायला व गैरसायलान की बहस सुनी गई ।

सायला के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा अरडकी के खसरा न0 183/2 की 1.8910हैक भूमि पूर्णदास पुत्र बस्तीदास जाति स्वामी साकिन अरडकी खातेदार काश्तकार था।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पुर्णदास पुत्र बस्तीदास का देहान्त हो गया जिसके जायज वारिसान गैरसायल न0 1 ता 2 दावा में प्रतिवादीया संख्या 7 एवं धर्मपाल , लिछमणदास पुत्रगण एवं सीमा पुत्री कुल 6 वारिस हुए जिसमें से धर्मपाल लिछमणदास पुत्रगण पुर्णदास एवं सीमा पुत्री पुर्णदास का देहान्त हो चुका है धर्मपाल के जायज वारिस गैरसायल न0 3 ता 6 है एवं लिछमणदास की जायज वारीस सायला है एवं सीमा पुत्री पुर्णदास पत्नी ठाकरदास के जायज वारिस दावा में प्रतिवादी संख्या 8 ,9 है।

सायला एवं गैरसायल व दावा में सुयक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है विवादित भूमि पैतृक जददी जायदाद है जो पुर्णदास पुत्र बस्तीराम को परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान होने के कारण अपने पिता के फोत होने पर प्राप्त हुई थी जिसमें गैरसायल न0 1 ,2 व दावा में प्रतिवादी संख्या 7 एवं धर्मपाल , लिछमणदास , सीमा पुत्री का जन्म से हक व अधिकार है अर्थात विवादित भूमि में 1/7–1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

सायला व गैरसायल एवं दावा में प्रतिवादीगण सुयक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है एवं सायला पुर्णदास पुत्र बस्तीदास की पौत्री है एवं गैरसायल न0 1 ता 2 दावा में प्रतिवादी संख्या 7 पुत्र एवं पुत्री है एवं गैरसायल न0 3 ता 6 पुत्रवधु व पोते है एवं दावा में पतिवादी संख्या 8 ,9 दोहिती एवं दोहिते है पुर्णदास पुत्र बस्तीदास के नाम से दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें गैरसायल न0 1 ,2 दावा में प्रतिवादी संख्या 7 एवं धर्मपाल , लिछमणदास पुत्रण एवं सीमा पुत्री का जन्म से ही हक हिस्सा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नही होने के कारण सायला के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये वादीया धोषणा करवाकर वाद भूमि मे अपने 1/7 हिस्सा भूमि को अपने नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने की अधिकारी है

गैरसायल न0 1 ,2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के पती पिता धर्मपाल से साजिसाना कार्यवाही कर पूर्णदास पुत्र बस्तीराम की रोही मौजा अरडकी के खसरा न0 183/2 की कुल 1.8910हैक भूमि की वसीयत नोटरी पब्लिक से दिनांक 06.11.2008 को तस्दीक करवा ली है हको से ज्यादा हिस्से की वसीयत करवाने के कारण सायला के हकों के नुकाबले शुल्य है।

विवादित भूमि में सायला का 1/7 हिस्सा है जिसे हडप करने के लिये साजिसाना तौर पर वसीयत तहरीर करवाई गई है हकों से ज्यादा भूमि की वसीयत करवाने के कारण वसीयत सायला के हकों के मुकाबले शुन्य है किन्तु गैरसायलान उक्त वसीयत के आधार पर नाम करवा ली है जिसका नाजायज फायदा उठाने के लिये वाद भूमि रहन बैय कर सकते है क्योकि वाद भूमि गैरसायलान के नाम से दर्ज हो चुकी है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायला को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये सायला गैरसायलान को पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि वाद के निस्तारण तक वाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की पूर्णदास वल्द बस्तीराम फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसान गैरसायल न0 1 ता 3 व दावा में प्रतिवादी संख्या 7 एवं धर्मपाल लिछमणदास पुणगण एवं सीमा पुत्री कुल 6 वारिस हुए जिसमें से धर्मपाल लिछमणदास पुत्र पूर्णदास एवं सीमा पुत्री पूर्णदास का देहान्त हो चुका है। धर्मपाल के जायज वारिसान गैरसायल न0 3 ता 6 के अलावा सायला धर्मपाल की पुत्री है लिछमणदास की वारिस नही है लिछमणदास लावल्द फोत हुआ है सीमा पुत्री पूर्णदास पत्नि ठाकरदान के जायज वारिस दावा में प्रतिवादी संख्या 8 ,9 है

वादग्रस्त भूमि पूर्णदास वल्द बस्तीदास की स्वय अर्जित की गई खातेदारी भूमि है जिसमें सायला का कोई हक हिस्सा नही है इसलिये सायला वाद भूमि के सम्बध में किसी प्रकार की धोषणा करवाने की अधिकारी नही है

सायला विवादित भूमि की किसी श्रेणी की टिनेन्ट नही है सायला का वाद भूमि पर कब्जा नही है वादग्रस्त भूमि पूर्णदास पुत्र बस्तीराम जाति स्वामी साकिन अरडकी खातेदार काश्तकार था जिसने अपने जीवनकाल में दिनांक 06.11.2008 को गैरसायल की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर मोतबिरान के रोबरू वसीयत कर दी तथा पूर्णदास दिनांक 08.06.2012 को फोत होने के पश्चात उसकी वसीयत दिनांक 06.11.2008 के आधार पर गैरसायल न0 1 ,2 व धर्मपाल ने वाद भूमि जरिये इन्तकाल संख्या 1177 दिनांक 18.10.2013 के द्वारा अपने नाम से दर्ज करवा ली है तथा गैरसायल वसीयत वारिस होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है सायला का कोई हक हिस्सा वादग्रस्त भूमि में नही है ना ही सायला वादग्रस्त भूमि के सम्बध में प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार रखती है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सायला लिछमणदास की पुत्री नही है तथा सायला कौशल्या उर्फ कान्ता धर्मपाल की पुत्री है इसलिये सायला को सक्षम सिविल कोर्ट से उतराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवाये बिना दावा व प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है।

गैरसायल उत्तरदाता पूर्णदास पुत्र बस्तीदास की वसीयत दिनांक 06.11.2008 के आधार पर खातेदार काश्तकार है अर्थात वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है तथा सायला वसीयत को सक्षम न्यायालय में निरस्त करवाये बिना किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है सायला का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायला का वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है या नही वाद भूमि की वसीयत दिनांक 06.11.2008 सायला के हकों के मुकाबले शुन्य है अथवा नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह तय किया जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा अरडकी की जमाबन्दी भु0प्रबन्ध विभाग सम्वत 2029 से 2038 के अनुसार खसरा न0 183 की भूमि बस्तीदास वल्द दलुदास के नाम से दर्ज है एव तत्पश्चात रोही मोजा अरडकी के खसरा न0 183/2 की 1.8910हैक भूमि पूर्णदास वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज है अर्थात बस्तीदास पुत्र दलुदास के देहान्त होने पर विरास्तन से भूमि पूर्णदास पुत्र बस्तीराम के नाम से दर्ज हुई है इसप्रकार वाद भूमि पैतृक सम्पति साबित होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण सायला के पक्ष में पाया जाता है।

गैरसायल न0 1 का कथन है सायला लक्ष्मणदास की पुत्री नही है लक्षणदास लावल्द फोत हुआ था किन्तु अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जबकि सायला के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, आम आदमी का आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र , एवं मैना पुत्री पूर्णदास , अर्जन पुत्र सन्तलाल , महेन्द्र पुत्र गुलाब , रतिराम पुत्र बस्तीराम , साजन पुत्र लेखु के शपथ पत्र के अनुसार सायला लक्ष्मणदास की पुत्री ही है सायला के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया सायला लक्ष्मणदास की पुत्री प्रतित होती है विस्तृत विवेचन वाद में साक्ष्य सबुतो के आधार पर ही तय किया जावेगा।

गैरसायल का कथन है कि विवादित भूमि की वसीयत पूर्णदास पुत्र बस्तीराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 06.11.2008 को करवाई गई थी पूर्णदास की मृत्यू के बाद वसीयत के आधार पर गैरसायल न0 1 ,2 व धर्मपाल खातेदार काश्तकार हो चुके है जिसमें सायला को कोई हक हिस्सा नही है सायला का कथन है कि सम्पूर्ण विवादित भूमि की वसीयत पूर्णदास पुत्र बस्तीराम को करने का अधिकार नही था हकों से अधिक भूमि की वसीयत होने के कारण सायला के हकों के मुकाबले शुन्य है सायला एवं गैरसायल का उक्त कथन वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तनकी कायम होने पर ही साबित होगा की वसीयत सही है या हकों से अधिक भूमि की करवाई गई है क्योकि पैतृक सम्पति होना प्रतित होता है।

वर्तमान में वाद भूमि पूर्णदास पूत्र बस्तीराम की वसीयत दिनांक 06.11.2008 के आधार पर वाद भूमि गैरसायल न0 1 ,2 एव धर्मपाल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हो चुकी है जिसके कारण गैरसायलान कभी भी वाद भूमि का रहन बैय कर सकते है वाद में हकों का निर्धारण होने से पूर्ण यदि वाद भूमि रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल होती है तो गैरसायलान को कोई क्षति नही होगी सायला को अपूर्णीय क्षति हो सकती है अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी सायला के पक्ष में पाया जाता है

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायला के पक्ष में साबित होने के कारण सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा अरडकी के खसरा न0 183/2 की कुल 1.8910हैक भूमि की रिकार्ड/मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7/9/2010 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर, एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner